कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 29 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 1 जुलाई, 2025।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (जानपद),
सि0भ्यो0रूप0परि0, यू0जे0वि0एन0लि0,
मुनस्यारी, पिथौरागढ़।

विशयः– उत्तराखण्ड राज्य के जिला– पिथौरागढ़ में सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ एचईपी के निर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम(यूजेवीएन) लिमिटेड के पक्ष में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (1) (ii) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव (ऑनलाइन संख्या FP/UK/HYD/119861/2021) के संबंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार/पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक– 23.06.2025।

उपरोक्त संदर्भित भारत सरकार के आदेश पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 03 व 06 के कम में क्रमशः क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2025 को आहुत बैठक में स्वीकृत कैट प्लान की धनराशि कैम्पा अन्तर्गत जमा करना सुनिश्चित करें, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि
1	एन0पी0वी0	29.997 हे0	10,69,470/– (ईको क्लास–VI, घनत्व 0.2)	320,80,891.59 या 320,80,892.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण	60.06	543,037/–	32614802.22 या 326,14,802.00
3	कैट प्लान	–	21,98,50,000.00	21,98,50,000.00
			योग	28,45,45,694.00

प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 752/3–19 दिनांक 21.05.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त जल विद्युत परियोजना में आवश्यक विधिवत स्वीकृतियों के पश्चात कैट प्लान के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से धनराशि प्राप्त कर बजट की उपलब्धता के आधार पर डी0पी0आर0/माइक्रोप्लान तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रभाग स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या– 29 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

E mail id:-pccfproject-forest-uk@nic.in

पत्रांक– 752 / 3-19 देहरादून, दिनांक 21 मई, 2025

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक,
कुमाऊँ, नैनीताल।

विषयः– सिरकारी–भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) के कैट–प्लान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 3346/12-1(6) दिनांक 08.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके स्तर से सिरकारी–भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट) का कैट प्लान अपनी संस्तुति सहित स्वीकृति/अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया गया था। कैट प्लान प्रस्ताव की समीक्षा/परीक्षण हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 14.05.2025 में लिए गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित कैट प्लान (लागत ₹ 21.985 करोड़) को 05 वर्ष की अवधि में क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन किया गया है। कथित बैठक का कार्यवृत्त इस कार्यालय के पत्रांक– 740/3-19 दिनांक 19.05.2025 द्वारा जारी किया गया है।

कृपया उक्त जल विद्युत परियोजना में आवश्यक विधिक स्वीकृतियों के पश्चात कैट प्लान के अनुसार सम्बन्धित प्रयोक्ता ऐंजसी से धनराशि प्राप्त कर एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर डी0पी0आर0/माइक्रोप्लान तैयार करने की दिशा में समयानुसार कार्यवाही कर ली जाये तथा उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

21/5

(सुशांत कुमार पटनायक)
मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 752 /3-19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तांतरण, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
8. डी0जी0एम0, यू0जे0वि0एन0 लि0, सिरकारी–भ्योल रूपसियाबगढ़ ज0वि0परि0।

21/5

(सुशांत कुमार पटनायक)
मुख्य वन संरक्षक,
परियोजनायें एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner